पत्रावली पेश हुयी। वकील वादी उपस्थित। वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 20-11-19 को पेश हो।

20-11-19 पत्रावली पेश हुई। बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य राजस्व कार्य भ्रमण/अवकाश में पधारने से पत्रावली दिनांक 11/12/19 को पेश हो।

आज्ञा से
रीडर
सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

11-12-19 पत्रावली पेश हुयी। वकील वादी उप. वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 8-01-20 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

08/01/2020 पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित। साक्ष्य हेतु प्रार्थना है एक अवसर और दिया जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 29/01/2020 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

29-01-20 पत्रावली पेश हुयी। वकील वादी उप. वादी पक्ष निर्णित डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसला सुनाए जाने बाद तामिल व कम्प्लिट दाखिल दफ्तर हो। मियाद से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

Scanned by CamScanner

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड

प्रकरण संख्या 17 / दावा / 18

तारीख दायरा 17.01.2018

उनवान

रामकिशन वल्द हीरालाल जाति लोधा निवासी आकोलिया तहसील मनोहरथाना

—वादी

बनाम

मथूरालाल पिता गौरी लाल जाति लोधा निवासी आकोलिया तहसील मनोहरथाना

— प्रतिवादी

<u>वाद धारा 183 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थिति :— श्री पुरूषोत्तम खण्डेलवाल अधिवक्ता वादी

एक पक्षीय (प्रतिवादी पक्ष)

निर्णय दिनांक 29-01-20

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जर्ये अधिवक्ता वाद अर्न्तगत धारा 183 आर.टी.एक्ट इस आशाय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम आकोदिया पटवार हल्का चांदपुरा कस्बा तहसील मनोहरथाना के माल की खसरा संख्या नया 99 पुरानी 92 की खसरा संख्या 131 की 1.08 बीघा, 132 की 0.11 बीघा, 134 की 1.08 बीघा, 232 की 3.14 बीघा, 233 की 0.11 बीघा, 330 की 0.05 बीघा, 331 की 0.05 बीघा, 333 की 0.10 बीघा, 334 की 0.13 बीघा, 335 की 0.18 बीघा, 336 की 0.19 बीघा, 345 की 0.13 बीघा, 347 की 0.04 बीघा, 348 की 0.02 बीघा, 349 की 1.02 बीघा, 350 की 0.19 बीघा, 352 की 0.01 बीघा, 405 / 353 की 1.01 बीघा, 406 / 354 की 0.07 बीघा, 407 / 369 की 2.05 बीघा, 408 / 384 की 0.19 बीघा कुल 21 किता की 18.15 बीघा आराजी वादी की माता भूरी बाई पुत्री नन्दा के खाते में दर्ज है।

वाद कि मद नम्बर 1 में वण्रित आराजी वादी की माता भूरी बाई पुत्री नन्दा के खाते में दर्ज है तथा मेरी माता का में वारिस हूँ तथा मेरे माता भूरी बाई का देहान्त दिनांक 15.07.2015 को हो गया है। इसलिए में वादी वारिस होने के नाते वाद पेश करा है।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

Scanned by CamScanner

उक्त वर्णित आराजी में खसरा संख्या 331 की 0.05 बीघा आराजी पर प्रतिवादी ने जबरन बल पूर्वक नाजायज रूप से अर्सा 5 साल पहले जबरन कब्जा कर लिया है। जिसका प्रतिवादी को कोई अधिकार नहीं है और ना ही प्रतिवादी के खाते में नाम है फिर भी प्रतिवादी ने जबरन बल पूर्वक कब्जा कर रखा है जो बेहैसियत अतिक्रमी एवं बेदखल होने योग्य है। जब वादी ने खसरा संख्या 331 की 0.05 बीघा आराजी से कब्जा हटाने के लिए प्रतिवादी से कई बार कहा परन्तु प्रतिवादी द्वारा कोई सुनवाई नहीं की, अन्तिम बार दिनांक 28.11.2017 को वादी ने प्रतिवादी से कब्जा छोडने बाबत कहने पर प्रतिवादी द्वारा कब्जा छोडने से साफ इन्कार कर दिया एवं लडाई झगडा करने पर आमादा होने से वाद हेतु उत्पन्न हुआ।

वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये संम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में अपने शपथ पत्र पेश किये गये है। जो शामिल पत्रावली किये गये। बहस सुनी गई। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबन्दी संख्या 2069 से 2072 का अवलोकन किया है, साथ अवलोकन करने स्पष्ट होता है कि वाद में अंकित आराजी पर वादीगण के शामलाती खाते में दर्ज है। प्रतिवादीगण ने इस आराजी पर किस आधार पर कब्जा किया है। अपने जवाब में स्पष्ट नहीं किया है अपितु बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे है। जिससे स्पष्ट होता है कि उन्हे वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद से कोई आपत्ति नहीं है।

अतः दावा डिक्री किया जाने योग्य होने से डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कि ग्राम आकोदिया पटवार हल्का चांदपुरा कस्बा के माल की खाता संख्या नया 99 पुरानी 92 की कुल 21 की 18.15 बीघा आराजी में से खसरा संख्या 331 की 0.05 बीघा आराजी पर से प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी दिलाया जावे। तद्नुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

Scanned by CamScanner

फर्द डिक्री मुकदमात इब्तदाई
आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड

प्रकरण संख्या 17 / दावा / 18

तारीख दायरा 17.01.2018

उनवान

रामकिशन वल्द हीरालाल जाति लोधा निवासी आकोलिया तहसील मनोहरथाना

–वादी

बनाम

मथूरालाल पिता गौरी लाल जाति लोधा निवासी आकोलिया तहसील मनोहरथाना

– प्रतिवादी

वाद धारा 183 आर.टी.एक्ट

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री पुरूषोत्तम खण्डेलवाल वकील मिन जानिब मुदई रूबरू श्री ..... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि :– वाद वादी फर्द डिग्री किया जाता है कि तथा आदेश दिया जाता है कि ग्राम आकोदिया पटवार हल्का चांदपुरा कस्बा के माल की खाता संख्या नया 99 पुरानी 92 की कुल 21 की 18.15 बीघा आराजी में से खसरा संख्या 331 की 0.05 बीघा आराजी पर से प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी दिलाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

आज दिनांक 29.01.20 को हमारे हस्ताक्षर एवं मोहर कार्यालय से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

Scanned by CamScanner